न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 33 / 2015

उनवान

1. काना पिता गोकल जाट निवासी बरण तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा
2. प्रीतोष पिता रामनिवास ब्राह्मण निवासी बरण तहसील बनेडा
3. पवन पिता रामनिवास ब्राह्मण निवासी बरण तहसील बनेडा
4. श्रीमती साकरी बेवा रामनिवास ब्राह्मण निवासी बरण तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के प्रकरण
संख्या 172 / 2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.1.2008

अधिवक्तागण :–

1.श्री दिनेश सिसोदिया ,अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री हिमांशु ओझा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 24.01.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 / वादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बरण तहसील बनेडा की सरहद में वादी के पिता गोकल पुत्र भागीरथ जाट की खातेदारी की आराजी नम्बर 232/2ख रकबा 10 बिस्वा स्थित है। यह नम्बर पुराने बन्दोबस्त के है। यह आराजी जमाबंदी संवत 2018 से 2021 में वादी के पिता गोकल के नाम पर दर्ज है। इसके बाद तहसील बनेडा में बन्दोबस्त हुआ और इस बन्दोबस्त में उक्त आराजी का नवीन नम्बर 1656/871 रकबा 4 बिस्वा कायम किया गया । जबकि बन्दोबस्त ही हाल जरीब से 10 बिस्वा का नया रकबा 9 बिस्वा बनता है व वादी का कब्जा व अधिकार बन्दोबस्त की हाल जरीब से बनने वाले 9 बिस्वा पर है। खातेदार गोकल का निधन हो गया है। जिससे वादग्रस्त आराजी नम्बर 1656/871 वादी के नाम पर दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी का नया रकबा 9 बिस्वा बनता है परन्तु 4 बिस्वा ही दर्ज की गई है यानि 5 बिस्वा कम दर्ज की गई है । वादग्रस्त आराजी नम्बर 1656/871 के पश्चिम की ओर आराजी नम्बर 1670/871 किस्म बिलानाम स्थित है। बिलानाम आराजी नम्बर 1670/871 में वादी का कमी रकबा 5 बिस्वा मिलाने के उपरान्त कुल रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा बिलानाम दर्ज किया गया । जिसे रामनिवास पुत्र केसर ब्राह्मण को आवंटन कर दी गई व राजस्व रेकार्ड में रामनिवास के नाम पर दर्ज कर दी गई।

2. रामनिवास का निधन हो चुका है उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 से 4 है और वर्तमान में वादग्रस्त आराजी नम्बर 1670/871 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। अतः आराजी नम्बर 1670/871 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा में से 5 बिस्वा कम किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं वादग्रस्त हिस्से पर वादी का रिहायसी मकान बना

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

हुआ है। जिसमें वादी निवास कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने वादी के उक्त कमी रकबे 5 बिस्वा से वादी को दिनांक 25 सितम्बर 2002 को बेदखल करने का प्रयास किया व थोहर तोड दिये । अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार कर ग्राम बरण स्थित वादी की खातेदारी आराजी नम्बर 1656/871 रकबा 4 बिस्वा के बजाय 9 बिस्वा दर्ज किया जावे व वादी को 9 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं आराजी नम्बर 1670/871 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा के 5 बिस्वा कम की जाकर 18 बिस्वा दर्ज किया जाकर वादी संख्या 2 से 4 को खातेदारी में दर्ज की जावे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 अथवा इनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा वादग्रस्त रकबा 5 बिस्वा के वादी के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नही करें। यदि दौराने वाद वादी को बेदखल कर देवे तो पुनः कब्जा दिलाया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.4.2004 द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई। जो बाद विचारण निर्णय दिनांक 2.2.2006 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण में फरीकेन को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया गया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में पुनः प्रकरण संख्या 66/06 दर्ज की गई एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.6.2007 पारित कर वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर पुनः अपीलार्थी/वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की न्यायालय हाजा में

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील दर्ज की जाकर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 13.12. 2007 को पारित कर पुनः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण को पुनः सुनकर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया गया । जिस पर पुनः अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.11.2008 द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार कर आदेशित किया गया कि " ग्राम बरण तहसील बनेडा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1656/871 रकबा 9 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । वादी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह हाल आराजी नम्बर 1670/871 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा में से 5 बिस्वा भूमि अपने नाम दर्ज करवाने बाबत सक्षम न्यायालय में कृषि उद्धेश्य के लिए भूमि आवंटन नियम 1970 के उप नियम 14 (4) के तहत कार्यवाही कर निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने पर ही 5 बिस्वा भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।" उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलाण्ट जो कि एक गरीब, अशिक्षित, सीमान्त काश्तकार है, को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद डिक्री करना बताया गया, जिस पर प्रार्थी अपीलाण्ट ने विश्वास कर कोई अपील नहीं की । उक्त वाद सशर्त डिक्री किये जाने की सर्वप्रथम जानकारी अपीलाण्ट/प्रार्थी को अभी हाल ही में उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना न होने पर उक्त पालना कराने हेतु अपने अधिवक्ता से दिनांक 16.1.

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

2015 को सम्पर्क करने पर हुई। इस प्रकार दिनांक 21.11. 2008 से दिनांक 16.1.2015 तक का समय कण्डोन किया जावे।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय / कार्यालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट वादी को उक्त 9 बिस्वा आराजियात को खातेदार काश्तकार होना अपने निर्णय एवं डिक्री में माना है तो फिर आवंटन निरस्त कराने की शर्त आलौच्य निर्णय में लगा निर्णय पारित करना सर्वथा गलत एवं अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के मान्य सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है क्योंकि यह निर्विवाद है कि नियमित वाद में ही पक्षकारों के हक अधिकारों का निर्धारण हाता है जबकि प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण बाबत एक संक्षिप्त कार्यवाही होती है, जिसमें हक एवं अधिकारों का निस्तारण कानूनन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि 14 (4) कृषि आवंटन नियमों एक संक्षिप्त कार्यवाही है। अधीनस्थ न्यायालय ने 5 बिस्वा रकबा राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण की आराजियात में गलत तरीके से इन्द्राज होना माना है तथा कब्जा भी उक्त कमी रकबा 5 बिस्वा पर अपीलाण्ट का माना है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के पिता के नाम पर किया गया आवंटन प्रारंभ से शून्य प्रभावी होकर उसे कानूनन निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के पिता को वादग्रस्त 5 बिस्वा रकबा का कब्जा नहीं सौपा गया जिस पर अपीलाण्ट / वादी का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से ही चला आ रहा था। ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश की पालना आज दिनांक तक

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

नहीं हो पाई है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.11. 2008 में अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि साबिक आराजी का 5 बिस्वा भूमि कम दर्ज कर आराजी संख्या 1670/871 में मिलाकर प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के पिता को आवंटित कर दी गई। उक्त तथ्य अपने आप में वादी अपीलाण्ट को उक्त 9 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार बिना किसी शर्त के घोषित करने बाबत पर्याप्त एवं विधिसम्मत था एवं न्यायालय ऐसे किसी भी आवंटन आदेश को अपास्त करने हेतु सक्षम था , फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस बाबत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करकनी चाहिये बाबत अभिमत व्यक्त करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट वादी सन् 2002 से ही न्यायालय में अपने उक्त जायज हक एवं अधिकार के लिए सजग एवं प्रयत्नशील रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं दी है एवं न ही किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत की है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 के विरूद्ध हमेंशा एकतरफा कार्यवाही की गई है। फिर भी अधीनस्थ न्ययालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 के आचरण एवं व्यवहार को नजरअंदाज कर विधिक तकनीकी आधार पर अपीलाण्ट वादी का वाद सशर्त डिक्री किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन सर्शत निर्णय को निरस्त कर अपीलाण्ट वादी को अपीलाण्ट वादी की हाल आरजी संख्या 1656/871 रकबा 4 बिस्वा में आराजी संख्या 1670/871 के रकब में से 5 बिस्वा की कमी करते हुए उक्त रकबा आराजी संख्या 1656/871 में मिलाते हुए

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कुलिया 9 बिस्वा आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जावे।

10. प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धार 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण दर्शाया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. अपीलाधीन मामले में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दो बार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर प्रकरण में पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह सशर्त है। जबकि विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में उभयपक्ष की साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त पक्षकारों के हक हितों का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है।

13. साबिक आराजी नम्बर 232/2ग में से 5 बिस्वा रकबा कम करके आराजी नम्बर 1670/871 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा में मिलाकर प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के पिता को आवंटन किये जाने का कथन अपीलार्थी/वादी ने किया है। साबिक आराजी नम्बर 232/2 ग अपीलार्थी वादी की खातेदारी की आराजी रही है जिसका हाल आराजी नम्बर

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

1656/871 बना है उक्त कमी रकबा बिस्वा अपीलार्थी ने हाल आराजी नम्बर 1670/871 में से 5 बिस्वा कम किया जाकर वादी को 1656/871 रकबा 9 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 17.2.2007 के आधार पर यह माना है कि वादी ने आराजी नम्बर 1656/871 व इसके दक्षिण दिशा में आराजी नम्बर 1670/871 में वादी का मकान बना हुआ है तथा पश्चिमी दिशा में बाडा बना हुआ है। जबकि वादी का आराजी नम्बर 1656/871 व 1670/871 में उत्तर दिशा में स्थित आव का रकबा 3 बिस्वा बनता है जो 9 बिस्वा भूमि सम्मिलित है। इस प्रकार वादी प्रस्तुत दस्तावेज व कमिश्नर रिपोर्ट व साक्ष्य से वादी के नाम साबिक आराजी नम्बर 232/2ग रकबा 10 बिस्वा को बन्दोबस्त के बाद हाल आराजी नम्बर 1656/871 रकबा 4 बिस्वा कायम किया जाना जबकि 9 बिस्वा रकबा दर्ज होना चाहिये था। माना गया है। इस आधार पर वादी को पुनः आराजी नम्बर 1670/871 में से 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के खाते से कम की जाकर वादी को इन्द्राज कराने का अधिकारी माना है। परन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में शर्त अंकित की है कि हाल आराजी नम्बर 1670/871 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा मं से 5 बिस्वा भूमि वादी अपने नाम दर्ज करवाने बाबत सक्षम न्यायालय में कृषि उद्धेश्य के लिए भूमि आवंटन नियम 1970 के उप नियम 14 (4) के तहत कार्यवाही कर निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने पर ही 5 बिस्वा भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

14. वादग्रस्त कमी रकबा 5 बिस्वा जो कि प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के पिता को आवंटित की गई थी उस आराजी नम्बर 1679/871 में मिला होना राजस्व रेकार्ड से साबित

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

माना है। वादग्रस्त कमी रकबे पर अपीलार्थी ने अपना कब्जा होने का कथन किया है। कमिश्नर रिपोर्ट में भी प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के खातेदारी की आराजी नम्बर 1670/871 में वादी का मकान बना होना तथा पश्चिमी दिशा में बाडा बना होना माना है। प्रत्यर्थी की आराजी नम्बर 1670/871 में उत्तर दिशा में स्थित आव का रकबा 3 बिस्वा बनता है जो 9 बिस्वा भूमि सम्मिलित होना अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड से माना है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के पिता को किया गया आवंटन जिस भूमि पर अपीलार्थी/वादी का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से ही चला आ रहा है वैध नहीं माना जा सकता है। जिस रकबे का कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के पिता को कभी संभलाया ही नहीं गया है। उसकी खातेदारी प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 अथवा उनके पिता/आवंटी को नहीं दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि अपीलार्थी/वादी को प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के हक अधिकार की आराजी नम्बर 1670/871 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा में से 5 बिस्वा कम कर अपीलार्थी/वादी की हाल आराजी नम्बर 1656/871 रकबा 4 बिस्वा में उक्त रकबा 5 बिस्वा मिलाते हुए 09 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सर्शत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत नहीं होने से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

15. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.1.2008 को निरस्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के खातेदारी की ग्राम बरण तहसील बनेडा स्थित हाल आराजी नम्बर 1670/871 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा मे से 5 बिस्वा भूमि कम की जाकर अपीलार्थी/वादी की आराजी नम्बर 1656/871 रकबा 4 बिस्वा में मिलाते हुए कुलिया

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

रकबा 9 बिस्वा का अपीलार्थी को खातेदार काश्कतार घोषित किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे अपीलार्थी के कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एवं न किसी अन्य से करावे । डिक्री पर्चा मूर्तिब की जावे।

16. निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/33/2015

उनवान

1. काना पिता गोकल जाट निवासी बरण तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा
2. प्रीतोष पिता रामनिवास ब्राह्मण निवासी बरण तहसील बनेडा
3. पवन पिता रामनिवास ब्राह्मण निवासी बरण तहसील बनेडा
4. श्रीमती साकरी बेवा रामनिवास ब्राह्मण निवासी बरण तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के प्रकरण संख्या 172/2008 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.1.2008

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/33/2015** मे **उपखण्ड अधिकारी बनेडा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 24.01.2020 को अपीलाण्ट की ओर से श्री दिनेश सिसोदिया वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री हिमांशु ओझा एवं राजकीय अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश सोनी की उपस्थिति मे 24.01.2020 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है किः–

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.1.2008 को निरस्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के खातेदारी की ग्राम बरण तहसील बनेडा स्थित हाल आराजी नम्बर 1670/871 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा मे से 5

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

बिस्वा भूमि कम की जाकर अपीलार्थी/वादी की आराजी नम्बर 1656/871 रकबा 4 बिस्वा में मिलाते हुए कुलिया रकबा 9 बिस्वा का अपीलार्थी को खातेदार काश्कतार घोषित किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे अपीलार्थी के कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एवं न किसी अन्य से करावे ।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 24.01.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.01.24 14:41:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: